


अखिल गनी - पत्रावली बुन, 06/20

दिनांक

आज्ञा पत्र

18.9.25

पत्रावली पत्र। कमील अपीलतं को पूर्व पेची पर हिदायत दी गई थी कि
अग्रणी लिखि से पूर्व तामील से रोष रेसॉर्टेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पत्र कर
अन्यथा आगामी लिखि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत कमील खरिज
कर दी जायेगी। अज दिनांक तक अपीलतं ने रेसॉर्टेंट के रजिस्टर्ड नोटिस
पत्र नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलतं अपनी अपील के प्रति गम्भीर
नहीं है। फलस्वरूप अपीलतं आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खरिज
की जाती है। निर्णय तुरंत इजलास चुनाव बना। पत्रावली केवल सुभार होकर नगर
के कम डेकर बाद तारीख तकमील दाखिल दफतर हो।


मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सौकर